By Speed Post

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(A Constitutional body set up under Article 338A of the Constitution of India)

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. HK/5/2017/STGDH/SEHRMT/RU-I Dated: 16/10/2019

To,

1. **The Secretary,**
   Department of Power,
   Govt. of NCT of Delhi,
   8th Floor, B-wing, Delhi Secretariat,
   I.P. Estate, New Delhi-110002,
   Tel: 01123392047,
   Fax No. 011-23392023.

2. **The Chairman,**
   Delhi Transco Ltd.,
   Govt. of NCT Delhi,
   Shakti Sadan, Kotla Marg,
   New Delhi-110002,
   Tel: 011-23231748
   Fax No. 011-23234640.

Sub: Representation dated 14/12/2017 received from Shri Hemant Kumar, R/o Flat No. 247, Sanskriti Apartments, Sector-19-B, Dwarka, New Delhi-110075 regarding discrimination of ST candidate under ST category post in Delhi Transco Ltd.

Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to enclose a copy of minutes of Sitting held in the National Commission for Scheduled Tribes on 14/10/2019 at 12:30 P.M. under the Chairmanship of Dr. Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes in the matter.

It is, requested that action taken on the suggestions / recommendations of the Commission may please be sent to the NCST at the earliest.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Rajeshwar Kumar)
Assistant Director
Tel: 011-24641640.

Copy to:

The Chief Secretary,
Govt. of NCT of Delhi,
5th floor, Delhi Secretariat,
IP Estate,
New Delhi
(w.r.t Dr. Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, NCST's letter of even No. dated 27.09.2019 and 14.10.2019 in the matter).

Copy to:

Shri Hemant Kumar,
R/o Flat No. 247,
Sanskriti Apartments,
Sector-19-B, Dwarka,
New Delhi-110075.

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
2. PS to Hon'ble Member (HCV), NCST
3. PA to Hon'ble Member (HKD), NCST
4. PS to Hon'ble Member (MCI), NCST
5. Sr. PPS to Secretary, NCST
6. Office of the Joint Secretary, NCST
7. Director, NCST
8. Deputy Secretary, NCST
9. AD (Admin.)/ Please make all necessary arrangements on the day of the sitting.
10. NIC (please upload on the Commission's website and also send the e-mail to concerned)

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

F. No. – HK/5/2017/STGDH/SEHRMT/RU-I

दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड द्वारा, अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमोदित व रोजगार समाचार पत्र मे विज्ञापित रिक्तियों का वि-आरक्षण और वरिष्ठता सूची बनाने में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों के अधिकारों के हनन के मामले में श्री हेमंत कुमार, सहायक प्रबंधक, दिल्ली ट्रांस्को लि. द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर डॉ. नन्द कुमार साय, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 14.10.2019 को आयोग में संपन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की तिथि : 14.10.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट 'क'

---

1. श्री हेमंत कुमार, सहायक प्रबंधक, दिल्ली ट्रांस्को लि. ने दिनांक 14.12.2017 को आयोग में अभ्यावेदन देकर दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड द्वारा, अनुसूचित जाती व जनजाति के कर्मचारियों को आयोग आने से रोकने के लिए निकाले गए आर्डर, अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमोदित व रोजगार समाचार पत्र मे विज्ञापित रिक्तियों के वि-आरक्षण और वरिष्ठता सूची बनाने में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों के अधिकारों के हनन के मामले में न्याय का निवेदन किया।
2. आयोग ने इस मामले में दिनांक 03.10.2019 नोटिस भेजकर सचिव, पावर विभाग दिल्ली सरकार तथा अध्यक्ष, दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड को दिनांक 14.10.2019 को आयोग में चर्चा के लिए बुलाया और दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने यह पाया की, प्रार्थी द्वारा साक्ष्य सहित लगाए गए आरोप अत्यधिक गंभीर व संगीन है। छह बैठकों के बावज़ूद सम्बंधित मामला लगभग

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

2 वर्ष से लंबित है, जिसका कारण सचिव, दिल्ली सरकार व अध्यक्ष, दिल्ली ट्रांस्को द्वारा आयोग की अनुशंषाओं की अवहेलना है।

3. आयोग ने पूर्व में की गई अनुशंषाओं की अवहेलना पर नाराजगी जताई तथा निम्नलिखित संस्तुतियां करता है:-

i. दिनांक 08.04.2019 की बैठक के दौरान DOPT द्वारा यह स्थापित किया गया की DTL ने सन 2006 की भर्ती प्रक्रिया में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित छह रिक्तियों में से दो रिक्तियों का अवैध रूप से वि-आरक्षण किया है। इस मामले में आयोग की अनुशंषा दिनांक 12.04.2019 व 19.07.2019 की अनुपालना करें ।

ii. वर्ष 2006 की भर्ती व वरिष्टता सूची सम्बंधित सभी फाइलें मूल रूप में आयोग को सौंपी जाएं ताकि मामले में DOPT से टिपण्णी ली जा सके ।

iii. वर्ष 2002 से 2019 तक का सहायक प्रबंधक, तकनिकी संबंधी सालाना रिज़र्वेशन रोस्टर रजिस्टर व सम्बंधित भर्ती फाइलों की सत्यापित प्रति आयोग में जमा करें ।

iv. आयोग द्वारा सचिव, पावर विभाग, दिल्ली सरकार व अध्यक्ष, दिल्ली ट्रांस्को को बैठक का नोटिस दिनांक 03.10.2019 मिलते ही अकस्मात ही प्रार्थी के खिलाफ सतर्कता विभाग, दिल्ली ट्रांस्को द्वारा दिनांक 04.10.2019 को मामला दर्ज कर दिया गया जिसकी कार्रवाई जारी जाँच हेतु प्रार्थी को बुलाया जा रहा है। यह मामला प्रार्थी को गलत तरीके से फ़साने व बदले की भावना से प्रेरित लग रहा है। उसे तुरंत प्रभाव से बंद करें।

इस सन्दर्भ में सचिव, पावर विभाग, दिल्ली सरकार व अध्यक्ष, दिल्ली ट्रांस्को अनुपालनात्मक कार्रवाई कर एक हफ्ते में आयोग को रिपोर्ट जमा करें।

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट– क

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

HK/05/2017/STGDH/SEHRMT/RU-I

दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड द्वारा, अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमोदित व रोजगार समाचार पत्र मे विज्ञापित रिक्तियों का वि-आरक्षण और वरिष्ठता सूची बनाने में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों के अधिकारों के हनन के मामले में श्री हेमंत कुमार, सहायक प्रबंधक, दिल्ली ट्रांसको लि. द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर डॉ. नन्द कुमार साय, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 14.10.2019 को आयोग में संपन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त।

15.10.019

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. डॉ. नन्द कुमार साय, अध्यक्ष
2. श्री हरिकृष्ण डामोर, माननीय सदस्य
3. श्री शिशिर कुमार रथ, संयुक्त सचिव
4. डॉ. ललित लट्टा, निदेशक
5. श्री राजेश्वर कुमार, सहायक निदेशक
6. श्री आर. एस. मिश्र, वरिष्ठ अन्वेषक

पावर विभाग दिल्ली सरकार के अधिकारी

1. सुश्री पदमिनी सिंगला, सचिव
2. श्री डी. वर्मा, विशेष सचिव

दिल्ली ट्रांस्को लि. के अधिकारी

1. श्री लवलीन सिंह, महाप्रबंधक, मानव संसाधन
2. श्री मुकेश गुप्ता, उप प्रबंधक, मानव संसाधन

अभ्यावेदक

1. श्री हेमंत कुमार